Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES RULES, 1990][1]

G.S.R. 3.– Whereas the Draft of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1989 was published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part 3(kh) dated the January 6, 1990, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 30 days from the date on which the copies of the said notification, as published in Rajasthan Gazette, are made available to the public.

AND WHEREAS, copies of the said notification were made available to the public on the 7th March, 1990.

AND WHEREAS the objections and suggestions received on the said draft rules have been considered by Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 8(3), 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 146, 176, 201, 211 and 213 of the said Act, the State Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER–I
PRELIMINARY

1.1. Short title and application.– (1) These rules may be called the **Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990**.

(2) They shall come into force from the date[2] separately notified in the Official Gazette and shall extend to the whole of the State of the Rajasthan.

1.2. Definitions.– (1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,–

(a) *"Act"* means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) of the Central Legislature.

(b) *"Additional Secretary of the [3][State Transport Authority/Regional Transport Authority]"* means an officer, not below the rank of a District Transport Officer, appointed by the State Government. He shall perform all or any of the functions of the Secretary of the [3][State Transport Authority/Regional Transport Authority] and shall also perform such other functions in connection with the work of the [3][State Transport Authority/Regional Transport Authority] as may be entrusted to him by the [State Transport Authority/Regional Transport Authority.]

1 Noti. No. F. 7(2)/Rules/Hq. 89-90, dated 21.4.1990 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord. Pt.-IV(Ga)(I), dated 10.5.1990 and corrected by corrigendum No. F. 7(2) Rules (HQ)/89-90, dated 20.7.1990 (Pub. in Raj. Gaz., Pt. IV(Ga)(I), dated 26.7.1990).

2 Noti. No. F. 36(3) Parivahan/90, dated 16.7.1990 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord., Pt. IV(GA)(II), dated 16.7.1990), (w.e.f. 16.7.1990).

3 Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord., Pt. IV(Ga)(I), dated 26.7.1995).

Scanned by CamScanner

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990][1]

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा चाहे गये अनुसार राजस्थान मोटर यान अधिनियम, 1989 का प्रारूप राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग 3(ख) दिनांक 6 जनवरी, 1990 को उन सभी लोगों से जो इससे प्रभावित होने वाले थे। राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा देने की दिनांक से 30 दिन व्यतीत होने के पहले एतराज और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किये गये थे।

और यतः, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 7 मार्च 1990 को उपलब्ध करवा दी गई थी।

और यतः, उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त हुए एतराजों और सुझावों पर सरकार ने विचार किया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धाराओं 8 (3), 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 146, 176, 201, 211, और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1.1. संक्षिप्त नाम तथा प्रायोज्यता.— (1) इन नियमों का नाम **राजस्थान मोटर यान नियम, 1990** है।

(2) ये राजपत्र में पृथक् से अधिसूचित दिनांक[2] से प्रभावशील होंगे और इनका विस्तार पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगा।

1.2. परिभाषायें.— (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) ***"अधिनियम"*** से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) अभिप्रेत है;

(ख) [3][***"राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, का अपर सचिव"*** से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो जिला परिवहन अधिकारी से निम्न श्रेणी का नहीं होगा और वह [3][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] के सचिव के समस्त या किन्हीं कार्यों का सम्पादन करेगा और [3][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] के कार्य से सम्बन्धित ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो उसे राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा सौंपे जायेंगे;

---

1. अधि.सं. एफ. 7(2) नियम/मु./89–90, दिनांक 21.4.1990 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1) दिनांक 10.5.1990 और सही किया गया अधि.सं. एफ. 7(2) नियम (मु.) 89–90, दिनांक 20.7.1990 (राज. राजपत्र, भाग 4(ग)(1), दिनांक 26.7.1990) पर प्रकाशित।
2. अधि.सं. एफ. 36(3) परिवहन/90, दिनांक 16.7.1990 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(II) दिनांक 16.7.1990) एवं 16.7.1990 को लागू किया गया।
3. जी.एस.आर. 39 दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(I) दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(c) ***"District Collector and District Magistrate"*** includes an Additional District Collector and District Magistrate;

(d) ***"Divisional Commissioner"*** includes an Additional Divisional Commissioner;

(e) ***"District Transport Officer"*** means any officer appointed by the Government to perform the functions and exercise the powers of a District Transport Officer under these rules;

(f) ***"Fleet Owner"*** means any person or any undertaking having fleet of at least [1][500 buses,] either in his own name or in his possession or control and includes the undertaking of other States operating their motor vehicles in this State under any agreement with any State.

(g) ***"Forms"*** means the forms prescribed under these Rules;

(h) ***"Motor Vehicle Inspector"*** means any officer appointed by the State Government to perform the functions of a Motor Vehicle Inspector under the Act, these rules and rules framed by the Central Government;

(i) ***"Motor Vehicle Sub-Inspector"*** means any officer appointed as such by the State Government;

(j) ***"Passenger"*** means any person travelling in a public service vehicle other than the driver, or conductor and a person engaged for loading and unloading of the luggage of the passengers;

(k) ***"Regional Transport Authority"*** means a Regional Transport Authority constituted under sub-section (1) of Section 68 of the Act;

(l) ***"Regional Transport Officer"*** means any officer appointed by the Government to perform the functions and duties of a Regional Transport Officer under these rules [2][and includes Additional Regional Transport Officer];

[3][(m) ***"Secrectory of the State Transport Authority"*** means any Additional Transport Commissioner, posted at head office of Transport Department, appointed by the Government to perform the functions and duties of the Secretary of the State Transport Authority;"

(n) ***"Secretary to the Regional Transport Authority"*** means the Regional Transport Officer of the concerned region and where there is no Regional Transport Officer, any other officer appointed by the Government to perform the functions of the Regional Transport Officer;

(o) ***"State"*** means the State of Rajasthan;

(p) ***"State Transport Authority"*** means the State Transport Authority constituted for the State of Rajasthan under sub-section (1) of Section 68 of the Act;

---

1. Subs. by G.S.R. 45, dated 2.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 2.12.2003) (w.e.f. 2.12.2003).
2. Added by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-ord. Pt.- 4(Ga)(I), dated 26.7.1995).
3. Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015)

(ग) ***"जिला कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट"*** में अपर जिला कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट सम्मिलित है;

(घ) ***"सम्भाग आयुक्त"*** में अपर सम्भाग आयुक्त सम्मिलित है;

(ङ) ***"जिला परिवहन अधिकारी"*** से इन नियमों के अधीन जिला परिवहन अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का सम्पादन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) ***"यान-समूह स्वामी"*** (फ्लीट ओनर) से कोई व्यक्ति या कोई उपक्रम अभिप्रेत है, जिसके पास स्वयं के नाम से या उसके कब्जे या नियंत्रण के अधीन कम से कम [1][500 बसों] का समूह (फ्लीट) है और इसमें अन्य राज्यों के उपक्रम सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य के साथ किसी करार के अधीन इस राज्य में अपने मोटर यानों का प्रचालन कर रहे हैं;

(छ) ***"प्ररूप"*** से इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ज) ***"मोटर यान निरीक्षक"*** से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम, इन नियमों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन मोटर यान निरीक्षक के कार्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है;

(झ) ***"मोटर यान उप-निरीक्षक"*** से कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है;

(ञ) ***"यात्री"*** से किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें चालक, परिचालक, और यात्रियों के सामान को चढ़ाने और उतारने के लिये नियुक्त कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(ट) ***"प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण"*** से अधिनियम की धारा 68 की उप–धारा (1) के अधीन गठित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ठ) ***"प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण"*** से इन नियमों के अधीन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कार्यों और कर्त्तव्यों का सम्पादन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है [2][और अपर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सम्मिलित है];

[3][(ड) ***"राज्य परिवहन प्राधिकरण का सचिव"*** से राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के कृत्यों और दायित्वों का पालन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त परिवहन विभाग के मुख्यालय पर पदस्थापित कोई अतिरिक्त परिवहन आयुक्त अभिप्रेत है;]

(ढ) ***"प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का सचिव"*** से सम्बन्धित प्रदेश (रीजनल) का प्रादेशिक परिवहन अधिकारी और जहां कोई प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नहीं है, वहां प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कार्यों का सम्पादन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) ***"राज्य"*** से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(त) ***"राज्य परिवहन प्राधिकरण"*** से अधिनियम की धारा 68 की उप–धारा (1) के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

जी.एस.आर. 45, दिनांक 2.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 2.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।

अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./2005/IV/16885, दिनांक 31.08.2015 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग-4(ग)(II), दिनांक 1.9.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(q) ***"Taxi Meter"*** means any Mechanical or Electronic device approved by the State Transport Authority" to be attached to motor cab for the calculation and legible exhibition of fare and other charges due from passenger therein,

(r) ***"Transport Commissioner"*** means an officer appointed by the State Government to perform the duties and functions of the Transport Commissioner under these rules and includes an Additional Transport Commissioner,

[1][(s) ***"Assistant Transport Commissioner"*** means an officer appointed by State Government to perform the duties and functions as assigned to them,]

[2][(t) ***"Rural route"*** means a route whose one terminus is a revenue village and other terminus is a place of religious importance/Tehsil Headquarter/ Panchayat Samiti Headquarter/Municipal town/Krishi Mandi or Sub-Divisional Headquarter except situated within the municipal/U.I.T. area of the district Headquarter :

Provided that such routes shall not include the following:–

(i) Municipal/U.I.T. area of the district Headquarter.

(ii) Tehsil Headquarter/Panchayat Samiti Headquarter/Municipal town/ Sub-Divisional Headquarter.

(iii) More than one Krishi Mandi.]

[3][(u) ***"Sub-Urban Route"*** means any route which starts from a city or, town and declared as Sub-urban route by the State Government in the public interest.]

(2) Words and expressions used in the Act and Rules made by the Central Government and not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them under the Act and Rules made by the Central Government under the Act and as amended from time to time by the Central Government.

CHAPTER II

LICENSING OF DRIVERS OF MOTOR VEHICLES

2.1. Licensing Authority.– The Licensing Authority shall be a District Transport Officer so appointed for the district or the Motor Vehicles Inspector [5][or Motor Vehicles Sub-Inspector] [4][or any person], specially authorised by the State Government to perform the duties of the Licensing Authority. Licensing Authority for the purpose

1. Added by GSR 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt.- IV(Ga)(I), dated 26.7.1995).
2. Subs. by G.S.R. 29, dated 14.9.2004 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt.- 4(Ga) (I), dated 14.9.2004).
3. **Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015)**
4. Added by G.S.R. 50, dated 31.7.1997 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 31.7.1997).
5. Added by GSR 82 dated 29.11.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt.-4(Ga), dated 29.11.2002.

(थ) ***"टैक्सी-मीटर"*** से कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रोनिक उपकरण अभिप्रेत है, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो और मौटर–कैब के साथ, उसमें के यात्री से देय किराये और अन्य प्रभार की संगणना और स्पष्ट प्रदर्शन के लिये सहबद्ध किया जाये;

(द) ***"परिवहन-आयुक्त"*** से इन नियमों के अधीन परिवहन–आयुक्त के कर्त्तव्यों और कार्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जिसमें अपर परिवहन आयुक्त सम्मिलित है;

[1][(ध) ***"सहायक परिवहन आयुक्त"*** से राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदिष्ट किये गये कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिये नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;,

[2][(न) ***"ग्रामीण मार्ग"*** से जिला मुख्यालय के नगरपालिका/नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर स्थित मार्ग को छोड़कर ऐसा मार्ग अभिप्रेत है, जिसका एक टर्मिनस राजस्व ग्राम हो और दूसरा टर्मिनस धार्मिक महत्त्व का स्थान/तहसील मुख्यालय/पंचायत समिति मुख्यालय/नगरपालिक नगर/कृषि मंडी या उप–खण्ड मुख्यालय हो :

परन्तु ऐसे मार्ग में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे:–

(i) जिला मुख्यालय के नगरपालिका/नगर सुधार न्यास क्षेत्र।

(ii) तहसील मुख्यालय/पंचायत समिति मुख्यालय/नगरपालिक नगर/उप–खण्ड मुख्यालय।

(iii) एक से अधिक कृषि मंडी।]

[3][(प) ***"उप नगरीय मार्ग"*** से कोई ऐसा मार्ग अभिप्रेत है, जो किसी शहर या नगर से प्रारम्भ होता है और राज्य सरकार द्वारा लोकहित में उपनगरीय मार्ग के रूप में घोषित किया गया है।]

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो अधिनियम में या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में प्रयुक्त गये हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उनको अधिनियम अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों और समय–समय पर केन्द्रीय सरकार किये गये संशोधनों में दिया गया है।

अध्याय–2

मोटर यानों के चालकों का लाइसेंस

2.1. अनुज्ञापन प्राधिकारी.– जिले के लिये इस रूप में जिला परिवहन अधिकारी या राज्य र द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये विशेष रूप से प्राधिकृत मोटर रीक्षक [5][या मोटर यान उप–निरीक्षक] [4][या कोई भी व्यक्ति] अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा। ष्ट्रीय चालन परमिट के प्रयोजन के लिये और] केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24 प्रयोजनार्थ प्रदेश के लिये इस रूप में नियुक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी

.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर ाशित) द्वारा जोड़ा गया।

.एस.आर. 29, दिनांक 14.9.2004 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 14.9.2004 पर ाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./2005/IV/16885, दिनांक 31.08.2015 (राज. राजपत्र ांक भाग-4(ग)(II), दिनांक 1.9.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

स.आर. 50, दिनांक 31.7.1997 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 31.7.1997 पर शित) द्वारा जोड़ा गया।

स.आर. 82, दिनांक 29.11.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग), दिनांक 29.11.2002 पर ात) द्वारा जोड़ा गया।